प्रेस नोट 06.11.2020

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक शातिर गौ–तस्कर (गैंग लीडर) गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 06.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चचाईपार से, मु0अ0सं0 688/20 धारा 2(B)(XV), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त आनन्द कुमार सिंह पुत्र मनपरसन सिंह निवासी ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा जनपद बलिया (गैंग लीडर) को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 13.6.2020 को ग्राम लधुवई से एक पिकअप वाहन (यूपी 60 एटी 2979) से 06 राशि गाय व 02 राशि बछड़े बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 341/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान उपरोक्त आनन्द कुमार सिंह पुत्र मनपरसन सिंह निवासी ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा जनपद बलिया व मोहम्मद महताब पुत्र अलीशेख मुहम्मद निवासी मझौला राज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्तों द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ के लिये अवैध तरीके से धन प्राप्त करने हेतु गौ–तस्करी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 688/20 धारा 2(B)(XV), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

भारी मात्रा में अवैध पटाखों (लगभग 40 हजार रुपये कीमती) के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

अवैध पटाखों के भंडारण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 05.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दोस्तपुरा से नेहरुलाल गुप्ता पुत्र स्व0 सुन्दर निवासी हुंसापुरा थाना कोपागंज के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध पटाखों (लगभग 40 हजार रुपये कीमती) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त क विरुद्ध मु0अ0सं0 588/20 धारा 286 भादवि व 5/9ख विस्फोटक अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नरौनी मोड़ के पास से शुभम पुत्र रामवचन निवासी तवक्कलपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से लगभग 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 756/20 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सरयां रघुनाथपुर से मु0अ0सं0 794/20 धारा 363,366 भादवि में वांछित अभियुक्त अजीत पुत्र सुरेश निवासी सरयां रघुनाथपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 10 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देवेन्द्र चौहान व श्रीकांत चौहान निवासीगण उमरपुरा थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज

पुलिस द्वारा आदित्य विश्वकर्मा व किशन जायसवाल निवासीगण अदरी थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बृजेश यादव निवासी भेड़कुल सुल्तानपुर, विरेन्द्र यादव, सुरेन्द्र निवासीगण कुंवरपुरवा, सतेन्द्र यादव निवासी खैरा नासिरपुर थाना मधुबन व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा रमेश यादव व ओमकार निवासीगण मिर्जापुर थाना रानीपुर मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

- ❖ आज दिनांक 06.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 मे यातायात प्रभारी संतोष यादव ,हमराह HCP रमेश कुमार , हे0का0 सुनील सिंह, का0 प्रवीण कुमार, होम गार्ड अमीरचन्द, रवीन्द्र प्रसाद, मिथलेस के साथ बाल निकेतन, मिर्जाहादिपुरा, भीटी चौक, बलिया मोड़ पर यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहनों, वाहन चालक/स्वामी का सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0 ,इंशोरेन्स,फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट मे कुल 130 वाहनो का चालान किया गया तथा 03 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया। जिसमे विना हेलमेट के 50, सीट बेल्ट–35, गलत नम्बर प्लेट पर 20 बिना डी0एल0 के 25 पर कार्यवाही की गयी ।

- ❖ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा आज दिनांक 06.11.2020 को थाना रानीपुर को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम मिशन शक्ति योजना के क्रम में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का गहन निरीक्षण किया तथा रिकार्ड रजिस्टर व प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन किया गया एवं आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। साथ ही साथ थाना परिसर, कार्यालय, मालखाना, हवालात, बैरिक, भोजनालय, शौंचालय/स्नानागार इत्यादि के साफ–सफाई का निरीक्षण किया गया तथा सर्व सम्बन्धित को लावारिस वाहनों एवं मालों के निस्तारण करने तथा साफ–सफाई उच्चकोटि की बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।